

परकरीय वर
आदि

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सप्लिमेंटरी कोर्ट रीवा म०प्र०



RS
2/-

श्रीमती इन्दुवती देवी पत्नी श्री प्रेमलाल गुप्ता, पिता श्री रामचन्द्र गुप्ता, निवासी ग्राम खटखरी, उम्र 55 वर्ष, तहसील-हनुमना, थाना-शाहपुर, जिला-रीवा म०प्र० निगरानीकर्ता

R1703-II/12

बनाम

1- शासन म०प्र०

2- ~~श्यामलाल गुप्ता~~ श्रीमती के पिता द्वारिका प्रसाद गुप्ता

क्रमांक 5 के वारिस

- 1- धनश्यामदास गुप्ता तनय स्व. श्यामलाल गुप्ता उम्र 40 वर्ष
 - 2- संतोष कुमार गुप्ता तनय स्व. श्यामलाल गुप्ता उम्र 30 वर्ष
- दोनों निवासी हाथीताल कालोनी त्रिवेणी देवी विद्यामंदिर के जवतपुर, जिला जवतपुर म०प्र०

- 3- शिवनाथ गुप्ता : दोनों के पिता काशी प्रसाद गुप्ता
- 4- रामसुरेश गुप्ता
- 5- सुतो वसुधाबाई गुप्ता बेवा रामकरण गुप्ता
- 6- मोहन गुप्ता : दोनों के पिता श्री रामकरण गुप्ता
- 7- लालू गुप्ता

प्र० 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 निवासी ग्राम खटखरी, तहसील-हनुमना थाना-शाहपुर, जिला-रीवा म०प्र० गैर निगरानीकर्ता गण

अधिवक्ता श्री श्रीमती
सिंह इया 06-07
रीवा, दि. 23-5-2012

Amul
23/5/12

निगरानी विस्तृत आदेश तहसीलदार तहसील-मऊंज, जिला-रीवा म०प्र० के प्रकरण क्रमांक 118अ-5811-12, पारित आदेश दिनांक 16/1/2012.

निगरानी अंतर्गत धारा-5 म०प्र०-भ-राजस्व संहिता 1959ई. 1

Amul

रुपानी

23/5/12


208

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-1703-II/12

जिला-रीवा

इन्द्रानी देवी / शासन, रामदयाल गुप्ता वगैरः

(1)	(2)	(3)
19.12.18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री नवीन कुमार सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसलीदार, तहसील मउगंज, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 11/अ 5/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 16.01.12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	